अध्याय–IV

परियोजनाओं की निगरानी और रख–रखाव एवं हितधारकों के बीच समन्वय

सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी

परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए निगरानी एक व्यवस्थित पद्धति है। परियोजना के उद्देश्यों को सम्बंधित विभागों के समन्वय के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तथापि, सम्बंधित विभागों के बीच समन्वय न होने और निगरानी की कमी के उदाहरण देखे गये, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

4.1 नहर से जल छोड़ने की निगरानी का अभाव

जल संसाधन विभाग ने रबी फसल के अनुमान का विश्लेषण करने के लिए राज्य दूरस्थ संवेदन आवेदन केंद्र, जोधपुर से वर्ष 2012 से 2015 के दौरान नर्मदा नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र की प्रतिबिंबावली (इमेजरी) प्राप्त की। प्रतिबिंबावली की समीक्षा यह पुष्टि करती है कि रबी की फसले 39 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र में हो गई, तथापि, नहर का जल परिकल्पित मात्रा तक नहीं छोड़ा गया क्योंकि तब तक डिग्गियों का आंशिक रूप से ही विद्युतीकरण किया गया था, जैसा कि अनुच्छेद 3.5.1(i) में वर्णित है।

यह इंगित करता है कि किसानों ने अपने स्वयं के मोटर पंपों की व्यवस्था कर के नहर से सीधे जल लेकर खेतों की सिंचाई की, जबकि वितरण प्रणाली से जल की आपूर्ति डिग्गी से प्रत्येक चक को की जानी थी। उपलब्धियों का आंकलन करने के लिए विभाग के पास 2017 से 2020 तक के प्रतिबिम्ब चित्र उपलब्ध नही थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (मार्च 2021) कि विभाग ने जल की चोरी को रोकने के लिए प्रयास किये है।

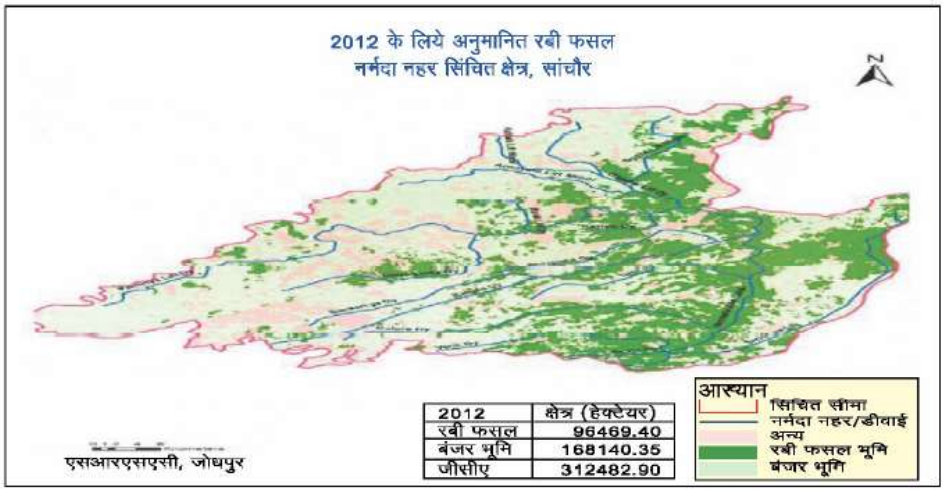

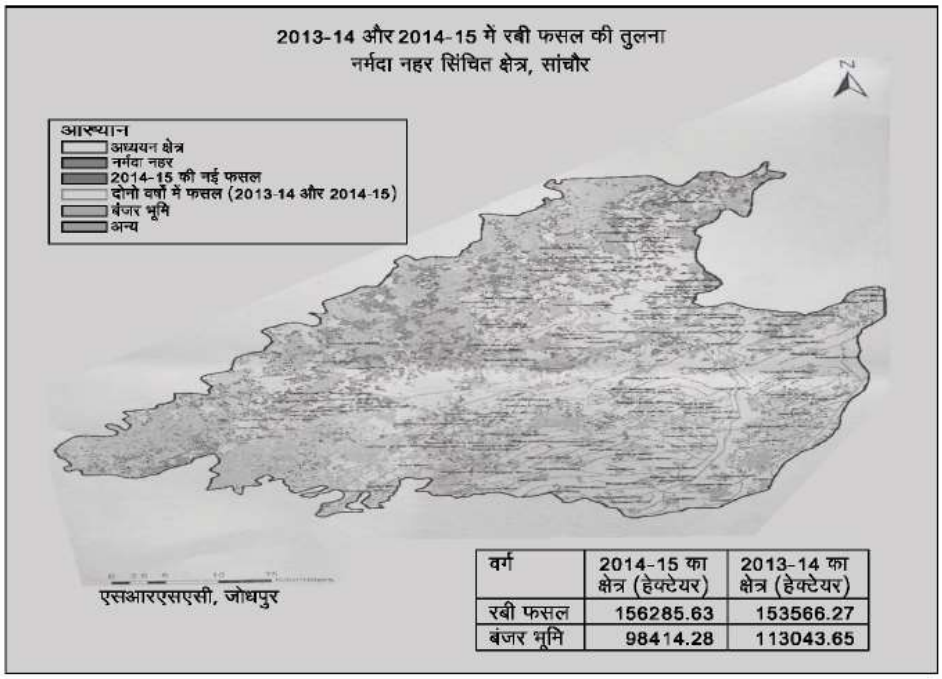

वर्ग	2014-15 का क्षेत्र (हेक्टेयर)	2013-14 का क्षेत्र (हेक्टेयर)
रबी फसल	156285.63	153566.27
बंजर भूमि	98414.28	113043.65

4.2 सहभागी सिंचाई प्रबंधन गतिविधियां

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 (आरएफपीएमआईएस) किसानों के बीच जल के वितरण को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था (जुलाई 2000)। आरएफपीएमआईएस अधिनियम यह निर्धारित करता है कि प्राथमिक स्तर पर किसानों के निर्वाचित निकाय अर्थात जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए), द्वितीय स्तर पर वितरण समिति और परियोजना स्तर पर परियोजना समिति का गठन किया जाना था। इन समितियों को शक्तियों का प्रयोग करना था और विभिन्न जल उपयोगकर्ता संघों के बीच पानी के उपयोग को विनियमित करने के लिए कार्य करना था। राजस्थान सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत नियम 2002 भी बनाये।

4.2.1 जल उपयोगकर्ता संघ, वितरण समिति एवं परियोजना समिति का गठन

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 की धारा 4 प्रावधान करती है कि प्रत्येक जल उपयोगकर्ता क्षेत्र के लिए एक जल उपयोगकर्ता संघ होगा, जिसमें सभी जल उपयोगकर्ता शामिल होंगे, जो सदस्य के रूप में ऐसे क्षेत्र में भूस्वामी है।

अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि पिपलाद, आकोली, गुलेण्डी, मामतोरी और रोहिणी में जल उपयोगकर्ता संघ का गठन नहीं किया गया था। दो नदी में जल उपयोगकर्ता संघ का गठन किया गया था, तथापि, जल उपयोगकर्ता संघ द्वारा कोई गतिविधि नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, नर्मदा नहर परियोजना को छोड़कर किसी भी जल उपयोगकर्ता क्षेत्र में वितरण और परियोजना समितियां गठित नही की गई थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि पिपलाद और गुलेण्डी में जल उपयोगकर्ता संघ का गठन प्रक्रियाधीन था। दो नदी में जल उपयोगकर्ता संघ का गठन किया था, लेकिन पूरी

तरह क्रियाशील नहीं था तथा रोहिणी और मामतोरी परियोजनाओं को पंचायती राज विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने अवगत कराया कि विभिन्न स्तरों पर इन समितियों के गठन का कार्य प्रगतिरत है।

4.2.2 बाराबंदी

'बाराबंदी' समान जल वितरण की एक आवर्तशील प्रणाली है जो प्रत्येक किसान को जल की आपूर्ति के दिन, समय और अवधि को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए एक पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपनायी जाती है। आरएफपीएमआईएस अधिनियम की धारा 17(ए) यह निर्धारित करती है कि जल उपयोगकर्ता संघ प्रत्येक सिंचाई के मौसम के लिए एक बाराबंदी कार्यक्रम तैयार करेंगे व लागू करेंगे।

अभिलेखों की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि जहां जल उपयोगकर्ता संघ का गठन किया गया था, वहां भी सिंचाई जल बिना बाराबंदी अनुसूची के प्रदान किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि नर्मदा नहर परियोजना में प्रत्येक डिग्गी के संचालन के लिए एक विस्तृत अनुसूची (बाराबंदी) पहले ही तैयार की जा चुकी थी और कार्ययोजना के अनुसार सिंचाई के लिए परियोजना की सभी नहरों में जल छोड़ा जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नही था, क्योंकि बाराबंदी के विद्यमानता के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था। आगे यह कहा गया कि ल्हासी, पिपलाद और गुलेण्डी में बाराबंदी जल उपयोगकर्ता संघ गठन के बाद शुरू की जायेगी।

4.2.3 सिंचाई सेवा शुल्क एवं जल कर की मांग एवं संग्रहण

सिंचाई सेवा शुल्क (आईएसएफ) का संग्रहण सिंचाई प्रणाली के रस्व-रस्वाव और सुधार को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जब बहाव से सिंचाई में जल के अतिरिक्त उपयोग को कम करना होता है। जब जल उपयोगकर्ता संघ को सिंचाई शुल्क का पर्याप्त भाग आवंटित हो तब ही परियोजनाओं का प्रभावी संचालन और रस्व-रस्वाव संभव है। आरएफपीएमआईएस अधिनियम की धारा 17(ई) यह निर्धारित करती है कि जल उपयोगकर्ता संघ मांग तैयार करे और सिंचाई सेवा शुल्क एकत्र करें।

अधिनियम की धारा 24 के अनुसार किसान संगठन की निधि में सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान शामिल होंगे, जो संचालन के क्षेत्र में एकत्र किये गये जल कर के हिस्से के रूप में मिलते है। इसके अलावा, नियम 54(के) प्रावधान करता है कि सिंचाई सेवा शुल्क उपयोगकर्ता संघों द्वारा वसूला जायेगा और सरकारी कोष में जमा किया जाएगा। यद्यपि जमा राशि का 50 प्रतिशत दावा प्रस्तुत करने पर सम्बंधित जल उपयोगकर्ता संघ को वापस कर दिया जाएगा। इन सभी जल उपयोगकर्ता संघ को सरकार या किसी अन्य वित्तीय अभिकरण से कोई अनुदान या कोई अन्य निधि नही मिली थी। इसलिए, चयनित परियोजनाओं के संचालन और रस्व-रस्वाव की गतिविधियों में जल उपयोगकर्ता संघ प्रभावी रूप से सम्मिलित नही थे।

अभिलेखों की जाँच में ज्ञात हुआ कि सिंचाई सेवा शुल्क का अनुमान लाभ लागत अनुपात में लगाया गया था। यद्यपि पिपलाद, आकोली, रोहिणी, मामतोरी, घाट पिक अप वियर और भैसा सिंह में सिंचाई सेवा शुल्क नहीं वसूला गया। नर्मदा नहर परियोजना, दो नदी और गुलेण्डी में

सिंचाई सेवा शुल्क लक्ष्य के 4.5 प्रतिशत से 34.71 प्रतिशत[1] तक कम वसूल किये गये। किशनपुरा लिफ्ट एमआईपी में 2012-13 से 2018-19 के दौरान जल उपयोगकर्ता संघ द्वारा कुल ₹ 199.67 लाख का सिंचाई सेवा शुल्क वसूला गया। तथापि, इसे सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया। उक्त वर्णित नियम के विपरीत इस एकत्र राशि को जल उपयोगकर्ता संघ द्वारा सीधे ही योजना के संचालन और रख-रखाव में उपयोग किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार (मार्च 2021) किया गया।

4.2.4 जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा अभिलेखों के संधारण का अभाव

विभिन्न अभिलेख/रजिस्टर जिन्हे जल उपयोगकर्ता संघ द्वारा अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत संधारित किया जाना आवश्यक था, संधारित नहीं किये जा रहे थे ***(परिशिष्ट-IV)***। इसके अतिरिक्त, नियम 48(6) प्रावधान करता है कि प्रत्येक मौसम के अंत में सम्बंधित किसान संगठन विभिन्न फसलों में प्राप्त जल, उपयोग किये गये जल और इसके साथ आपूर्ति किये गये जल का एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे। प्रतिवेदन परियोजना प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रकार की किसी भी प्रतिवेदन को न तो तैयार किया गया था और न ही प्रस्तुत/मांग किया गया था।

4.3 संयुक्त भौतिक सत्यापन

विभाग के प्रतिनिधियों के साथ जल उपयोगकर्ता संघ/किसानों के लाभार्थी सर्वेक्षण एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा निम्न अवलोकन किया गया थाः

(i) पिपलाद, मामतोरी और घाट पिक अप वियर में कुछ स्थानों पर नहरें क्षतिग्रस्त अवस्था में थी। मामतोरी में टूटे हुए हिस्से को मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।

बायी मुख्य नहर पिपलाद परियोजना आमली खुर्द गांव के पास

[1]

(₹ लाखों में)

परियोजना का नाम	नर्मदा नहर परियोजना	गुलेण्डी एमआईपी	दो नदी
लक्ष्य	188.81	3.11	0.58
उपलब्धियां	65.54 (34.71%)	0.14 (4.5%)	0.05 (8.6%)

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि लम्बे समय से बांध में पानी की उपलब्धता नही होने के कारण नहर नहीं चल रही थी।

(ii) नर्मदा नहर परियोजना में कुछ डिग्गियां जैसे सुकड़ी लघु (11 डिग्गियां) काम नही कर रही थी। इसी तरह, अकोदा माइनर (11 डिग्गियां) और धींगपुरा लघु (14 डिग्गियां) में न तो बिजली के पम्प लगाए गए और न ही बिजली के कनेक्शन लिए गए थे। इसके अलावा, किसान अनाधिकृत तरीके से अपने स्वयं के पम्पों का उपयोग करके नहर से सीधे जल ले रहे थे, क्योंकि किसानों ने अनाधिकृत बिजली कनेक्शन भी ले लिए थे। नहरों में बहुत गाद जमा हो गई थी, नहर में उगने वाली वनस्पति व शैवाल नहर में जल के प्रवाह में कमी/प्रवाह वेग को कम कर रहे थे और इसलिए जल, नहर के अंतिम छोर तक नही पहुंच रहा था।

नहर में भारी गाद और वनस्पति को दर्शाने वाली छवियां जो कि पानी की रूकावट का कारण बनती है

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि गाद हटाने का काम जल उपयोगकर्ता संघ द्वारा समय-समय पर किया जाता है, विशेषतः रबी मौसम के प्रारंभ से पहले। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान अत्यधिक गाद जमाव, वनस्पति और शैवाल पाए गये थे।

(iii) दो नदी में, भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि बांध में रिसाव थे और नहर के कुछ हिस्सों में गाद का जमाव और वनस्पति थी, जिससे पानी का बहाव कम हो गया था।

दो नदी नहर में वनस्पति/गाद

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि बांध के जलद्वार के रिसाव की मरम्मत कर दी गई है। रबी की फसल से पहले जंगल और गाद की सफाई की जा चुकी थी। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि विभाग ने इस सम्बंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराया।

(iv) संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि घाट पिक अप वियर का प्रमुख जलद्वार कार्यशील स्थिति में नहीं था, क्योंकि भारी मात्रा में गाद (लगभग एक फीट) जमा होने से जलद्वार के गेट जाम हो गये थे।

घाट पिक अप वियर का प्रमुख जलद्वार

4.3.1 नर्मदा नहर परियोजना में परियोजना की लक्ष्य प्राप्ति का मूल्यांकन और जल उपयोगकर्ता संघ/किसानों का सर्वेक्षण

नीति आयोग के जल सूचकांक प्रतिवेदन, जून 2018 के अनुसार राजस्थान सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे सांचौर में समाधान का एक व्यापक पैकेज लागू किया है। जल उपयोगकर्ता संघ के गठन द्वारा भागीदारी सिंचाई प्रबंधन को वास्तविकता की ओर लाने में एक बड़ा प्रयास है और राज्य ने इस सूचकांक पर उच्चतम स्तर पाया है। तथापि, कुल 2,231 में से 227 जल उपयोगकर्ता संघों का विभाग के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण में निम्नलिखित पाया गया थाः

(i) बाराबंदी अनुसूची किसी भी जल उपयोगकर्ता संघ में लागू नही की जा रही थी और किसानों को बाराबंदी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि अधिकांश जल उपयोगकर्ता संघ बाराबंदी अनुसूची का पालन कर रहे थे और नियमित रूप से बाराबंदी अनुसूची को अपनाने के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान न तो बाराबंदी अनुसूची का पालन किया गया था और न ही सरकार ने बाराबंदी के विद्यमानता के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया था।

(ii) 65 जल उपयोगकर्ता संघ किसानों से सिंचाई सेवा शुल्क संग्रहण नही कर रहे थे। 162 जल उपयोगकर्ता संघों ने सिंचाई सेवा शुल्क का संग्रहण किया, तथापि, एकत्रित राशि सरकार के स्वाते में हस्तांतरित नही की गई थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि नियमित रूप से किसानों से जल शुल्क वसूला जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि जल उपयोगकर्ता संघ पर की गई टिप्पणियों के सम्बंध में कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(iii) 217 जल उपयोगकर्ता संघ प्रत्येक फसल के अंत में वितरण और लघु प्रणाली सहित सिंचाई प्रणालियों के रस्व-रस्वाव के लिए योजना तैयार नही कर रहे थे।

(iv) बुनियादी संरचना जैसे जल उपयोगकर्ता संघ के लिये कार्यालय आदि किसी भी डिग्गी में उपलब्ध नहीं करवाये गये।

राज्य सरकार द्वारा बिन्दु (iii) और (iv) के सम्बंध में तथ्य स्वीकार (मार्च 2021) किये गए।

(v) 175 जल उपयोगकर्ता संघों ने सर्वेक्षण के दौरान बताया कि परियोजना के आने के बाद जल स्तर बढ़ गया था, जिसके कारण जल भराव में वृद्धि हुई और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

राज्य सरकार नहर और कुओं के जल के संयुक्त उपयोग के कारण जल स्तर में वृद्धि हेतु सहमत नही थी (मार्च 2021)। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि नर्मदा नहर परियोजना में जल का संयुक्त उपयोग नहीं किया जा रहा था।

4.4 सामाजिक अंकेक्षण न करना

आरएफपीएमआईएस नियमावली का नियम 52 प्रावधान करता है कि प्रत्येक फसल मौसम के अंत में किसान संगठन सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था करेंगे और सक्षम प्राधिकारी सामाजिक अंकेक्षण के संचालन में सम्पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे। तथापि, चयनित परियोजनाओं में कोई सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि जल उपयोगकर्ता संघ को निर्देशित कर दिया गया है और भविष्य में सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

4.5 जल अंकेक्षण

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार जल अंकेक्षण, परियोजना के जल लेखों की एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक जाँच है। व्यापक जल अंकेक्षण, संसाधनों के आसान और प्रभावी प्रबंधन के लिये वितरण प्रणाली और जल उपयोगकर्ताओं को विस्तृत रूपरेखा दे सकता है। किसी भी परियोजना में जल अंकेक्षण का संचालन नही पाया गया।

नर्मदा नहर परियोजना, पिपलाद और गुलेण्डी परियोजनाओं के सम्बंध में राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि भविष्य में जल अंकेक्षण का काम किया जाएगा।

4.6 संचालन और रखरखाव

सिंचाई संरचना को ठीक से बनाए रखने और संचालित करने के लिए, प्रत्येक सिंचाई संरचना के लिए एक विस्तृत संचालन एवं रखरखाव दिशानिर्देशिका तैयार करना आवश्यक है। अभिलेखों की जाँच में ज्ञात हुआ कि किसी भी परियोजना में संचालन एवं रखरखाव दिशानिर्देशिका तैयार/उपलब्ध नहीं करवायी गयी थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि परियोजना के रख-रखाव के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक वर्ष निष्पादित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नही था, क्योंकि किसी भी परियोजना में परियोजना के रख-रखाव के लिए संचालन एवं रखरखाव दिशानिर्देशिका तैयार नही की गई थी।

4.7 जल संसाधन विभाग की नियमावली के अद्यतनीकरण का अभाव

जल संसाधन विभाग नियमावली बहुत समय पहले प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार 1982 में संशोधित की गई थी। इसके बाद विभाग द्वारा अनेक शासकीय आदेश जारी किये गये, लेकिन जल संसाधन विभाग नियमावली को पिछले 38 वर्षों से संशोधित और अद्यतन नहीं किया गया है। इसके कारण इसके कई प्रावधान अप्रासंगिक हो गए है और कई महत्वपूर्ण प्रावधान इसमे सम्मिलित नहीं है।

4.8 दोषों के सुधार का अभाव

रोहिणी बांध अक्टूबर 2013 में पूर्ण हुआ और इसके अनुबंध में तीन साल की दोष निवारण अवधि का प्रावधान था। बांध में रिसाव हो रहा था और इस कारण बांध से पानी का निकास अनियंत्रित हो गया था। यद्यपि, यह तथ्य जल संसाधन विभाग के संज्ञान में था, लेकिन बांध को अप्रेल 2018 में क्षतिग्रस्त स्थिति में पंचायती राज विभाग को सौंप दिया गया। इसलिए परियोजना से सिंचाई उपलब्ध नही कराई जा रही थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि संवेदक द्वारा उसकी अपनी लागत पर सुधार किया गया था और विभाग के पास रखी गई प्रतिभूति जमा दोषों से हटाने के बाद ही जारी की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि विभाग द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि बांध अप्रेल 2018 में पंचायती राज विभाग को सौंप दिया गया था।

4.9 हितधारकों के बीच समन्वय

परियोजना के प्रभावी ढंग से नियोजन एवं निष्पादन के लिये सम्बंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक था। सिंचाई परियोजनाओं में केन्द्रीय विभाग, जल संसाधन विभाग के अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पेयजल के लिए), कृषि विभाग (फसल पैदावार बढ़ाने के लिए) और वन विभाग (नहर किनारे वृक्षारोपण के लिए) जैसे अन्य हितधारक होते है।

4.9.1 समन्वय के लिये औपचारिक तंत्र की अनुपस्थिति

सिंचाई परियोजना में पानी की उपलब्धता के अनुसार सिंचाई कार्यक्रम और फसल पद्धति तैयार करने के मुख्य उद्देश्यों के लिये जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और राजस्व विभाग की समिति का गठन किया जाना था। तथापि, सभी चयनित परियोजनाओं में समितियों का गठन नहीं किया गया था और सम्बंधित विभागों के बीच कोई बैठक नहीं हुई थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि समितियों का गठन किया जा रहा है और सम्बंधित विभागों के साथ नियमित परामर्श आयोजित किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नही है, क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान किसी भी उच्च स्तरीय विभागीय समन्वय का कोई साक्ष्य नही देखा गया। प्रतिउत्तर के साथ सम्बंधित विभागों से परामर्श का कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

4.9.2 सम्बंधित विभागों की भूमिका में कमियां

कृषि विभाग लाभ लागत अनुपात और फसल पद्धति की गणना करने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तैयार करने में सम्मिलित था। इसलिए परियोजनाओं के उचित निष्पादन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए उसकी निरंतर भागीदारी आवश्यक थी। तथापि, कृषि विभाग ने बताया कि न तो वे लाभार्थियों के लिए किसी परियोजना विशेष जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करते है और न ही वे सिंचित क्षेत्रवार इस पर निगरानी रखते हैं। प्रत्येक जिले में कृषि विभाग के नियमित कार्यक्रम इन क्षेत्रों को भी सामान्य प्रक्रिया में आच्छादित करते है। कृषि विभाग द्वारा परियोजना विशिष्ट आंकड़ों के संकलन के अभाव में लेखापरीक्षा फसल की पैदावार में वृद्धि, फसल पद्धति में बदलाव आदि का आंकलन नहीं कर सकी। इसके परिणामस्वरूप अपेक्षित उद्देश्यों की उपलब्धियों को सुनिश्चित करने में परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी हुई।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

4.10 निष्कर्षों का सारांश

लेखापरीक्षा ने पाया कि सम्बंधित विभागों में समन्वय हेतु औपचारिक तंत्र का अभाव था, जल उपयोगकर्ता संघ या तो गठित नहीं थे या प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे थे, सामाजिक एवं जल अंकेक्षण नही किये गये थे। संचालन और रखरखाव दिशानिर्देशिका तैयार नहीं की गई थी। नियमावली अद्यतन नहीं की गई थी, दोषों को समय पर ठीक नहीं किया गया था और नहर में भारी गाद/जमा/उगाई गई वनस्पतियों ने नहर में मुक्त पानी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया था।

4.11 सिफारिशें

- विभाग को सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु, प्रगति की निगरानी के लिए, नियमित रखरखाव एवं उचित प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना चाहिए।
- अपनी परिभाषित भूमिका निभाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, वित्तीय साधनों और प्रशिक्षण के साथ जल उपयोगकर्ता संघों को मजबूत करना चाहिए।
- विभाग जल के मुक्त प्रवाह को सुगम बनाने के लिए समय-समय पर नहरों के रख-रखाव को सुनिश्चित करे।
- विभाग प्रभावी और नियमित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रगतिरित और भविष्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए संबंधित सभी विभागों (अर्थात जल संसाधन, कृषि, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्व और वन) के लिए एक संयुक्त निगरानी तंत्र तैयार करने पर विचार कर सकता है।